न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 13/2018

श्रीमति चान्दा पत्नि श्री ब्रहम्मालाल उम्र बालिग जाति जाट निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

------वादीया

ब ना म

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार महोदय, बिजयनगर

----प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी

निर्णय दिनांक 01.5.2018

वादीया ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का लोडियाना के खसरा नंबर 303 व 304 रकबा 07–02–00 किस्म बारानी–3 राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजीयात पर वादीया का कब्जा 5 बीघा 10 बिस्वा पर लगातार शांतिपूर्वक पिछले 25 साल से चला आ रहा है, जो वादीया के नाम सहवन से अलोट दर्ज होना रह गयी थी जो अभी राजस्व रेकार्ड में राजस्थान सरकार के नाम दर्ज चली आ रही हे। जिस पर धारा 91 की कार्यवाही हो रखी है। जो कि वादीया का कब्जा काफी पुराना होकर चला आ रहा है, जिसे वादीया का सुखाधिकार के रूप में कब्जा होने से वादीया के नाम घोषणात्मक डिक्री जारी कर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादीया द्वारा उक्त आराजियात को अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार हेतू प्रतिवादी को कही मर्तबा कहा लेकिन प्रतिवादी द्वारा वादीया के नाम खातेदार काश्तकार के लिये टालमटोल करते रहे। तथा दिनांक 20.12.2017 को मना करने से उक्त वाद पत्र पेश करने की आवश्यकता हुई अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि विवादित आराजियात का वादीया के नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादीया को विवादित आराजियात से बेदखल नही करे तथा उसके कब्जे व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित भूमि सिवाचयक खाते में दर्ज है, तथा वर्तमान मे विवादित भूमि मौके पर रिक्त है, विवादित भूमि पर अतिक्रमण का वादीया द्वारा फसल काश्त की जाती है तो धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा कर समय समय पर बेदखल किया गया है। प्रार्थीया चान्दा पत्नि ब्रहम्मालाल की कोई भी प.म. लोडिया में कोई कृषी भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। राजकीय भूमि होने से दावा खारीज करने की कृपा करावे।

प्रकरण में साक्ष्य वादीया में वादीया ने अपने वाद पत्र को साक्ष्य के रूप में माने जाने का कथन किया। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे को ही साक्ष्य के रूप में समझा जाने का निवदेन किया पत्रावली पर बहस अंतिम सुनी गई वादीया ने अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वादीया के हक में वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के अनुसार विवादित खसरा नंबर 303 व 304 बंजर भूमि दर्ज है, किन्तु किस्म बारानी–3 व 2 दर्ज है। खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2063 के अनुसार खसरा नंबर 303 व 304 रकबा 05–00–0 बीघा पर वादीया द्वारा ज्वार की फसल बोना एंव खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2064 के अनुसार खसरा नंबर 304 रकबा 05–05–00 पर वादीया द्वारा ज्वार की फसल बोना एंव खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2065 के अनुसार खसरा नंबर 303 व 304 पर वादीया द्वारा

ज्वार की फसल बोना एंव खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2067 के अनुसार खसरा नंबर 303 व 304 पर वादीया द्धारा तारामीरा की फसल बोना पाया गया। इसी प्रकार खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2068 के अनुसार खसरा नंबर 304 पर वादीया द्धारा पत्थर डालकर अतिक्रमण होना एंव खसरा परिवर्तित निर्धारण संवत 2071 व 2072 के अनुसार खसरा नंबर 303 व 304 पर वादीया द्धारा ज्वार की फसल बोना पाया गया। एंव सन् 2008 एंव सन् 2009 में जुर्माना वादीया द्धारा जमा कराया जाना पाया गया। इसी प्रकार सन् 2016 में वादीया को धारा 91 का नोटिस दिया जाना पाया गया जिसमें विवादित भूमि खसरा नंबर 304 पर ज्वार की फसल बोना व अतिचार करना पाया गया। सन् 2017 में जुर्माना वादीया द्धारा जमा कराया जाना पाया गया। इसी प्रकार सन् 2017 में वादीया को धारा 91 का नोटिस दिया जाना पाया गया जिसमें विवादित भूमि खसरा नंबर 304 में रकबा 01–10–00 पर घास व कब्जा कर अतिचार करना पाया गया। सन् 2010, 2012, 2014, 2015 एंव सन् 2016 में जुर्माना वादीया द्धारा जमा कराया जाना पाया गया। उक्त विवेचन के अनुसार वादीया का विवादित भूमि पर कब्जा एंव काश्त होना पाया जाता है, तथा समय समय पर वादीया द्धारा जुर्माना भी अदा किया जाना पाया गया ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादीया का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का लोडियाना के खसरा नंबर 303 व 304 रकबा 07–02–00 किस्म बारानी–3 में से 05–10–00 भूमि जो वादीया के कब्जे काश्त उपयोग में चली आ रही है, उसे नियमन करने हेतू नियमानुसार नियमन कमेटी में भेजे जाने के आदेश पारीत किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 1/2/18 को मेरे द्धारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 16:28:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: